



# बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय: 3-डी, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज  
फोन: 7311121885, फैक्स: 0532-2607653

नीलामी  
सूचना

जबकि, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तित्वों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT 2002) (54 OF 2002) की धारा 13(12) के नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को नोटिस जारी की गई थी तथा बन्धक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के उपनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि 16.01.2020 एवं स्थान: 3-डी, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज और समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के मध्य नीलामी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

**अंतिम तिथि EMD/Document जमा करने के लिए 14.01.2020 सांय 05:00 बजे तक है।**

क्र. सं.	खातेदारों/जमानतदारों का नाम एवं पता बकाया धनराशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रु.)
1.	<b>ऋणी:</b> मेसर्स नारी संसार प्रोप0- सन्तोष कुमार सिंह पुत्र चतुर्भुज नारायण, पता:- 59/ 11 इंडस्ट्रियल लेबर कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस नैनी इलाहाबाद। <b>जमानतकर्ता:</b> (1) श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र सत्य नारायण पता:- 57/6 इंडस्ट्रियल कॉलोनी, नैनी इलाहाबाद। (2) श्री चतुर्भुज नारायण पुत्र उदय नारायण, इंडस्ट्रियल कॉलोनी, करछना इलाहाबाद। <b>शाखा:</b> डांडी, इलाहाबाद (उ.प्र.), <b>खाता सं. 52920500000250,</b> <b>बकाया राशि :- रु. 5,13,345/-</b> + ब्याज एवं अन्य खर्चें। <b>मांग सूचना तिथि :</b> 15.05.2018, <b>कब्जा तिथि:</b> 22.05.2019	सभी सम्पत्ति एवं उसका भाग आराजी संख्या 466, देवरख, अरैल तहसील- करछना, जिला- प्रयागराज, क्षेत्रफल- 0.228 हेक्टेयर में स्थित है। <b>सम्पत्ति की चौहद्दी:</b> उत्तर: आराजी का शेष भाग, दक्षिण: आराजी सं0- 469, पूरब: संतोष कुमार सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम: नाला एवं अराजी 465	<b>रु. 18,03,000/-</b> <b>रु. 1,80,300/-</b>
2.	<b>ऋणी:</b> श्री रुपचन्द्र जयसवाल पुत्र श्री मेवा लाल एवं श्री राहुल जयसवाल पुत्र श्री रुपचन्द्र जयसवाल, पता:- 52ए/1, जवाहर लाल नेहरू रोड, टैगोर टाउन, सदर, प्रयागराज।, <b>जमानतकर्ता:</b> (1) श्री रोहित जयसवाल पुत्र श्री रुपचन्द्र जयसवाल पता:- फ्लैट नं0 5, 2 फ्लोर, कमला कुन्ज अपार्टमेंट, मकान नं0- 19ए-19बी (नया नं0- 29-30), हाशीमपुर रोड, प्रयागराज। (2) श्री अनूप मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, पता:- 46/22, जवाहर लाल नेहरू रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज-211002, <b>शाखा:</b> झूंसी, प्रयागराज, <b>खाता सं. 55430400000128,</b> <b>बकाया राशि:- रु. 15,61,515/-</b> + ब्याज एवं अन्य खर्चें। <b>मांग सूचना तिथि :</b> 12.02.2019, <b>कब्जा तिथि:</b> 22.05.2019	सभी सम्पत्ति एवं उसका भाग फ्लैट संख्या 5, सेकेण्ड फ्लोर कमला कुन्ज अपार्टमेंट नगरपालिका नं0-19ए-19बी (नया नं0- 29-30), हाशीमपुर रोड, परगना एवं तहसील- सदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल:- 64.49 वर्गमीटर (वर्तमान नगरपालिका नं0- 29-30/एसएफ-5 ) <b>सम्पत्ति की चौहद्दी :</b> उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: दूसरी मंजिल पर फ्लैट नं0-2, पूरब: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: गैलरी उसके बाद द्वितीय तल पर फ्लैट नं0-6।	<b>रु. 30,54,000/-</b> <b>रु. 3,05,400/-</b>

**नीलामी की तिथि एवं समय- 16.01.2020 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे, नीलामी का स्थान: बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय:- 3-डी, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज**

**विस्तृत जानकारी के लिये- <https://www.barodagraminbank.com>**

**नियम व शर्तें:-** (1) यह नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्तियों भारमुक्त हैं फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार, टाइटिल, क्लेम, देयताओं आदि की सत्य जांच कर लें। सभी सम्पत्तियों सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम, अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, वे नीलामी तिथि के पहले सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद, से संपर्क कर सकते हैं। (4) इच्छुक बोलीदाता बिड धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में प्रयागराज में देय हो, एक शील बंद लिफाफे में जमा करना होगा। प्रस्ताव दिनांक 14.01.2020 को सांय 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं उसे नीलामी तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा। (5) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की धरोहर राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत EMD राशि के अतिरिक्त उसी दिन तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि उसे 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना सूचना के जब्त कर ली जायेगी। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार/निरस्त/स्वगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। (8) सफल बोलीदाता को नियम के अनुसार सभी चार्ज/फीस जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वहन स्वयं करना होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी चार्ज, लियेन, ऋणभार, सम्पत्ति कर एवं/ या अन्य सरकारी देयताओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के करों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस प्रकार के भुगतान के लिये क्रेता उत्तरदायी होगा। यह प्रकाशन नियम प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिन की नोटिस है। ऋणियों/जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले बैंक के कुल बकाया राशि तथा अद्यतन ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित धनराशि जमा कर दें, इसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि की वसूली ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित कर ली जायेगी, यदि कोई हो। (10) यदि नीलामी की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को निर्धारित समय से सम्पन्न की जायेगी।